



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 38 गंगा (अध्याय) ) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कि

## भाग-क

मैं सुनेश्वर दास \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी शोफी दास  
 आयु 50 वर्ष, जो आम - पतेडमंगराको  
पोस्ट - कथरिया ; घाना - वजीरगंज ; जिला - गया  
 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं ..... (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

(2) मेरा नाम 234 वजीरगंज (गंगा) गया (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 246 के क्रम सं० 309 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9934848820 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ..... है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं <u>सुनेश्वर दास</u>	<u>2207</u>	<u>2013-14</u>	<u>112000</u>
2.	पति या पत्नी <u>शोफी दास</u>	<u>2207</u>	<u>2013-14</u>	<u>112000</u>
3.	आश्रित-1 <u>सुनेश्वर दास</u>	<u>2207</u>	<u>2013-14</u>	<u>112000</u>
4.	आश्रित-2	<u>2207</u>	<u>2013</u>	<u>2207</u>
5.	आश्रित-3	<u>2207</u>	<u>2207</u>	<u>2207</u>



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :- *लाश्व नहीं*

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। *लाश्व नहीं*

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<i>२२०५</i>
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	<i>२२०५</i>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>२२०५</i>
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	<i>२२०५</i>
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<i>२२०५</i>
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	<i>२२०५</i>

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} *लाश्व नहीं*

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>२२०५</i>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	<i>२२०५</i>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	<i>२२०५</i>

(6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया ~~मका है/नहीं~~ ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~दिया गया है/नहीं~~ दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। :



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :  
२१/१२/१९९९

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	२२/१२/९९
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	२२/१२/९९
(ग)	अधिरोपित दंड	२२/१२/९९
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान परिस्थिति	२२/१२/९९

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2—जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4—यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में हैं।

टिप्पणी 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000	7,000	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे(नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बैंक-आदि संस्थाओं में 70,000/००	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/षेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९
	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९	२२/१२/९९



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	₹ 20000 4968	₹ 20000	₹ 20000	₹ 20000	₹ 20000
(vii)	ज्वरात, बुलियान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	₹ 150000	₹ 150000	₹ 150000	₹ 150000	₹ 150000
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 72000	₹ 157000	₹ 157000	₹ 157000	₹ 157000

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2-प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति-सा पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	अ. प. ३३ ६३१/१ ३१५१	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२.२५	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०१५	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	₹ 110000	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 110000	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	अ. प. ३३ ६३१/१ ३१५१	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	13600	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०१३	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	₹ 30000	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 110000	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M	₹ 11M



(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१३६०	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१३६०	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१६,००,०००	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्याष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्याष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५
	कोई अन्य दायित्व	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५	२२०५

	दायित्वों का कुल योग	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	आय-कर शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	धनकर शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	सेवाकर शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	विक्रयकर शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
	कोई अन्य शोध	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	११०५	११०५	११०५	११०५	११०५

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं किसान

(ख) पति या पत्नी सहृणी एवं पति के संगे पेंशन का भुगतान

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालयों/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्हरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० <u>मुनेश्वर दास</u>
2	डाक का पता	ग्राम - <u>पतेरु मेगारानी</u> ; पोस्ट - <u>कथरिया</u> थाना - <u>वजीरगंज</u> ; जिला - <u>गया</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>38 - गया (अ०जा०)</u> <u>बिहार</u>

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)					
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय(न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी		शून्य	शून्य		
	(ख) प्रति-या पत्नी					
	(ग) आश्रित		शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) विरसती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता :	शून्य				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय,विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



# सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 20.3.14 को सत्यापित किया गया।



No. 721 Date 20.3.14  
Solely affirmed before me

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को चै संख्या 121-2008 में रिसर्जेस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायेंह" / हैं.....

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....